



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan

N.H. By-pass

P.B. No. 2277

Palarivattom P.O.

Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगन्ध भवन

एन.एच. बाईपास

पी.बी.नं. 2277

पालारिवट्टम पी.ओ.

कोचिन - 682 025, भारत

सं. विप.-पंजीकरण / 0002 / 2017 / विपणन
No.MKT-REGN/0002/2017/MARKETING

*M/s. Kamishka Export
Counsellor*

दिनांक:

Dated: 17-8-2018

महोदय / Sir,

विषय: वर्ष 2017-2020 की खंड-अवधि के लिए मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र
(सी आर ई एस) जारी करना/ का नवीकरण बाबत
Sub: Issue / Renewal of Certificate of Registration as Exporter of Spices [CRES] for the
Block period 2017-2020 reg

मसाला निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए आपके आवेदन का हवाला लें। हम, इसके साथ
मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम 1989 में विनिर्दिष्ट निबंधनों व शर्तों, उन पर किए
गए संशोधन और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी विनिर्देशों के अनुसार आपके नाम जारी मसाला निर्यातक के
रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सी आर ई एस), सं. एमएल /पंजी/ / 2017, दिनांक:
(31/08/2020 तक विधिमान्य) संलग्न करते हैं। कृपया सी आर ई एस की पावती वापसी मेइल द्वारा भेजें।

This has reference to your application for Certificate of Registration as Exporter of Spices.
We enclose herewith the Certificate of Registration as Exporter of Spices [CRES] bearing
No.ML/REG/ 11665/2017, dated 17-8-2018 ..{valid upto 31/08/2020} issued in
your favour subject to the terms and conditions specified in the Spices Board (Registration
of Exporters) Regulations 1989, amendments thereon and instructions issued by the Spices
Board. Kindly acknowledge receipt of CRES by return mail.

[1] सी आर ई एस प्रदान करने से संबंधित निबंधनों व शर्तों के अनुसार मसाला निर्यात, मसालों / मसाला
उत्पादों के राज्य वार स्रोत संबंधी तिमाही विवरणी, क्रमशः फॉर्म-बी, बी(1) व बी(2) में निदेशक (विपणन),
स्पाइसेस बोर्ड, सुगन्ध भवन, एन एच बाई-पास, पी बी नं. 2277, पालारिवट्टम, कोच्ची-682 025 [इ-मेइल:
tis.sb-ker@gov.in] को प्रत्येक तिमाही के समापन के 15 दिनों के अंतर्गत, बिना चूक के भेज दी जानी
चाहिए। ये फॉर्म बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com में डाउनलोड फॉर्म्स में उपलब्ध हैं। निर्यात /
आयात न होने के मामले में इस संबंध में एक 'शून्य' रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही में बोर्ड को प्रस्तुत की जानी
चाहिए।

[1] In accordance with the terms and conditions of grant of CRES, the Quarterly Returns of
Spices export, State-wise origin of Spices/Spice products thereon should be submitted in
Form-B,B(1)&B(2) respectively without fail to the Director (Mktg), Spices Board ,
Sugandha Bhavan, N H By-Pass, P B No.2277, Palarivattom, Kochi-682025{e-mail:
tis.sb-ker@gov.in} within 15 days on completion of each quarter. The above forms are
available in our website: www.indianspices.com under down load forms. In case of no
export / import a 'NIL' report to that effect should be submitted in each quarter.

[2] बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली नमूनन व कंटेनर भराई प्रक्रिया के अनुसार, बोर्ड की वेबसाइट www.indianspices.com में "गुणवत्ता" के अंतर्गत "निर्यात के लिए अनिवार्य जांच" में दी गई अपेक्षाओं के अनुसार, आपके द्वारा निर्यात परेषणों का नमूनन और बोर्ड की प्रयोगशाला में उनकी जांच करवाना अनिवार्य है। निर्यातकों से अनुरोध है कि वे अनिवार्य-जांच संबंधी अद्यतन सूचनाओं के लिए वेबसाइट देखें।

[2] As per the sampling and container stuffing procedure followed by the Board, it is mandatory on your part to get the export consignments sampled and tested at Board's Laboratory as per the requirement given in "Mandatory Test for Export" under "Quality" in Board's website "www.indianspices.com". Exporters are requested to visit the website for latest updates in the list of mandatory tests.

[3] भारत से यूरोपीय संघ को कैप्सिकम एन्नम (मिर्च व मिर्च उत्पाद) जायफल और करी पत्ती के निर्यात के मामले में, स्पाइसेस बोर्ड से दी गई समाशोधित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के आधार पर निर्यात निरीक्षण अभिकरण से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।

[3] In case of export of Capsicum annum (Chillies and Chilly Products), Nutmeg and Curry Leaf from India to European Union, it is mandatory to obtain Health Certificate from the Export Inspection Agency based on the cleared analytical report from the Spices Board.

[4] परेषणों का नमूनन और भराई संबंधी सूचना सिर्फ ऑन-लाइन द्वारा स्वीकार्य होंगी। लॉग-इन और पासवर्ड तथा नमूनन और भराई संबंधी अधिक जानकारी के लिए स्पाइसेस बोर्ड के निकटतम प्रादेशिक कार्यालय से संपर्क करें या पृष्ठताछ "sampling.sb-ker@gov.in" में ई-मेल करें।

[4] Intimation for sampling and stuffing of the consignments will be entertained through online only. For log in and password and for further details on sampling and stuffing, you may contact nearest Spices Board Regional office or e-mail the query to "sampling.sb-ker@gov.in"


[5] यह भी नोट किया जाए कि मसाला बोर्ड (निर्यातकर्ताओं का रजिस्ट्रीकरण) विनियम के निबंधनों व शर्तों के अनुसार, सभी रजिस्ट्रीकृत निर्यातक, अगर वे ब्रैंड नामों के अंतर्गत उपभोक्ता-पैकों में निर्यात करना चाहते हैं तो, अपना नाम रजिस्टर करेंगे। ट्रेड मार्क रजिस्ट्री के साथ अपने ब्रैंड को रजिस्टर किए निर्यातक आवेदन और मार्गदर्शन के लिए स्पाइसेस बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

[5] It may also be noted that as per the terms and conditions of Spices Board [Registration of Exporters) Regulations, all registered exporters shall register their brand name, if they propose to export in consumer packs under brand names. Exporters having their brands registered with Trade Mark Registry may contact Spices Board for application and guidance.

[6] मसालों के रजिस्ट्रीकृत निर्यातक होने के कारण, आप निधि की उपलब्धता के अधीन, हमारी "निर्यात विकास व संवर्धन " योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट विभिन्न घटकों के लिए योजना-सहायता पाने के पात्र हैं, जिनका विवरण हमारी वेबसाइट www.indianspices.com में दिया गया है।

[6] Being a registered exporter of spices, you are entitled to avail scheme assistance for various components as specified under our Schemes "Export Development & Promotion" subject to availability of funds, the details of which are given in our website: www.indianspices.com.

भवदीय / Yours faithfully,



पी. एम. सुरेश कुमार / P. M. SURESH KUMAR
निदेशक (विपणन) / DIRECTOR {MARKETING}